उपस्थिति :-

(1). श्री रणवीर प्रसाद
आई0ए0एस0
आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली। .... अध्यक्ष।

(2). श्री वी0के0सोनकिया
उप परिवहन आयुक्त
(परिक्षेत्र), बरेली। .... सदस्य।

(3). डॉ0अनिल कुमार गुप्ता
सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बरेली। .... सचिव।

****

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 26.02.2019 का कार्यवृत्त।

संकल्प संख्या – 01 – सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 की अनुपालन आख्या।

अवलोकित।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.02.2018 के मद संख्या – 8 में लिये गये निर्णय से प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल यू0पी0गैस लिमिटेड सातवॉं तल फिलिंग स्टेशन यूपीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स ए-1/4 लखनपुर कानपुर-208024 को पत्र संख्या 1059/आर0टी0ए0/सी0एन0जी0/2018 दिनांक 27.12.2018 एवं 67/आर0टी0ए0/सी0एन0जी0/2019 दिनांक 19.01.2019 द्वारा शाहजहॉंपुर में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित करने हेतु प्राधिकरण के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, शाहजहॉंपुर को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि सी0एन0जी0पम्प की प्रगति के बारे में अद्यावधिक स्थिति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रगति आख्या प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.02.2018 के कार्यवृत्त में मद संख्या – 11 के क्रमांक – 01 में भोजीपुरा केन्द्र खोलने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली से सर्वेक्षण कराया गया था। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली द्वारा अपनी सर्वेक्षण आख्या पत्र संख्या 171/प्रवर्तन/सर्वे/2019 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनों की पर्याप्त स्थिति को देखते हुए भोजीपुरा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली को उपरोक्त केन्द्र हेतु पुनः सर्वेक्षण करते हुए वहॉं पर संचालित अनधिकृत वाहनों तथा अन्य संचालित वाहनों, निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों हेतु यातायात की सुविधा के दृष्टिगत पूर्ण आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 में मद संख्या – 07 में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 71 (3) (a) के अन्तर्गत बरेली महानगर बस सेवा मार्गों पर परमिट दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को अवगत करा दिया गया था। साथ ही जिलाधिकारी, बरेली को पूर्व निर्धारित 06 मार्गों का पुनः सर्वेक्षण कराये जाने हेतु सर्वेक्षण टीम का गठन किये जाने हेतु पत्र संख्या 1072/आर0टी0ए0/महानगर बस सेवा/2018 दिनांक 27.12.2018 द्वारा अवगत करा दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, बरेली से सर्वेक्षण टीम का गठन कराकर सभी पूर्व निर्धारित 06 मार्गों की सर्वेक्षण आख्या आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें, साथ ही नगर आयुक्त, बरेली से सम्पर्क कर पूर्व निर्धारित 06 मार्गों पर बस अड्डों तथा हाल्टिंग स्टेशनों के निर्धारण के सम्बन्ध में भी आख्या आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

12 (2). प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 के मद संख्या - 12(2) में अध्यक्ष, बरेली-शाही-शीशगढ़ जिला बरेली के प्रत्यावेदन पर प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली को सन्दर्भित मार्ग का सर्वेक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली द्वारा अपनी सर्वेक्षण आख्या में टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा का शीशगढ़ केन्द्र निरस्त करने की संस्तुति की गई। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली की सर्वेक्षण आख्या का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा के शीशगढ़ केन्द्र को निरस्त न किया जाय तथा प्राधिकरण द्वारा अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त केन्द्र से टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा के परमिट जारी न किये जायें।

12 (4) (5) (6). प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 के मद संख्या 12 (4) (5) (6) में बरेली-बीसलपुर वाया भुता मार्ग, बरेली-शाही-शीशगढ़ मार्ग तथा शाही-शेरगढ़-बहेड़ी मार्गों पर अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही पर प्राधिकरण द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली तथा यात्रीकर अधिकारी, बरेली को सन्दर्भित मार्गों पर पुनः कठोर प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए यह भी आदेश दिये गये कि प्रवर्तन अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि इन मार्गों पर कोई अनधिकृत वाहन तो संचालित नहीं है। इन मार्गों पर संचालित निजी मार्गों की बसों की भी सघन चैकिंग कर आख्या अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाय।

<u>संकल्प संख्या - 02</u>

(क). **<u>मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-68(5) के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2018 से 31.01.2019 तक जारी परमिटों का अवलोकन।</u>**

अवलोकित।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्देशित किया गया कि सम्भाग में पंजीकृत वैध वाहनों व जारी वैध परमिटों का मिलान कर सूचित किया जाय कि कितनी वाहन बिना परमिट प्राप्त किये संचालित हैं। बिना परमिट संचालित वाहनों की एक सूची प्रत्येक माह सम्भाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को प्राप्त करायी जाय।

(ख). **अवलोकित।**

<u>संकल्प संख्या – 3</u>

<u>मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–81 के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सबारी गाड़ी के स्थाई परमिटों के नवीनीकरण के अवलोकन पर विचार।</u>

अवलोकित।

<u>संकल्प संख्या – 04</u>

<u>मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 74 (1) के अन्तर्गत पैट्रोल/सी0एन0जी0 युक्त टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा के स्थाई ठेका वाहन अनुज्ञापत्रों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।</u>

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 के संकल्प संख्या – 4/मद संख्या – 4 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 82(1) के अन्तर्गत पैट्रोल/सी0एन0जी0 युक्त टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा के स्थाई ठेका वाहन अनुज्ञापत्रों के हस्तान्तरण पर विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त निम्नानुसार नीति निर्धारित की गयी :-

1. इन सभी आवेदन पत्रों में वाहनों का विक्रय हो चुका है अतः इन सभी परमिटों को निरस्त कर उनके स्थान पर नये परमिट जारी किये जाऐं।
2. एक व्यक्ति को 02 (दो) परमिट तथा परिवार में अधिकतम 03 (तीन) परमिट स्वीकृत किये जाऐं।
3. कोई भी परमिट वित्तपोषक तथा पार्टनरशिप (साझेदारी) में निर्गत न किया जाऐ।
4. Aggregator (समूहक/संकलक) को परमिट निर्गत न किया जाऐ।
5. भविष्य में परमिट हस्तान्तरण के आवेदन पत्र शत प्रतिशत आन लाइन व्यवस्था से प्राप्त किये जाऐं।
6. परमिट का हस्तान्तरण केवल पारिवारिक व्यक्ति को किया जाए जिसमें पति, पत्नी, भाई व उनके बच्चे सम्मिलित हों।

प्राधिकरण की उपरोक्त नीति के अनुपालनार्थ मद संख्या - 04 के सूची - (क) में 290 आवेदकों में से 265 तथा सूची - (ख) में 90 आवेदकों में से 84 आवेदकों (हस्तान्तरियों) (अनुपूरक कार्यसूची को सम्मिलित करते हुए) द्वारा परमिटों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की उपरोक्त नीति के अनुसार 02 परमिटों से अधिक परमिटधारकों, वित्त पोषक तथा पार्टनरशिप (साझेदारी) में जारी परमिटों जिनको प्राधिकरण की नीति के अनुसार निरस्त कराया गया है, के वाहनों के क्रेताओं द्वारा अपने नाम में परमिट प्राप्त करने हेतु 92 (अनुपूरक कार्यसूची को सम्मिलित करते हुए) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सभी आवेदकों को परमिट स्वीकृत करते हुए सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की नीति के अनुसार परमिट निरस्त किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर उसी वाहन के प्रति वाहन के क्रेता को अपने स्तर पर नया परमिट जारी करना सुनिश्चित करें तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण द्वारा गरीब, बेसहारा व्यक्तियों, विधवा, बेरोजगार युवकों आदि के लिए रिक्तियों के विरूद्ध नये सी0एन0जी0आटो परमिट जारी करने पर एक नीति निर्धारित किये जाने का भी निर्देश दिया गया।

<u>संकल्प संख्या - 05</u>

<u>मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा - 80(3) के अन्तर्गत मंजिली गाड़ियों के मार्ग ऑवला-बदायूँ-कादरचौक मार्ग को गंजडुंडवारा तक प्रवर्धन किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।</u>

मार्ग ऑवला-बदायूँ-कादरचौक बस यूनियन के द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.01.2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा - 80(3) के अन्तर्गत ऑवला-बदायूँ-कादरचौक मार्ग को गंजडुंडवारा तक प्रवर्धन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग अन्तर्सम्भागीय होने के कारण अन्य सम्भाग (अलीगढ़ सम्भाग) से नामित टीम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाय। जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम/कस्बों को यातायात सुविधा की कितनी आवश्यकता है, वर्तमान में कितनी बसें संचालित हैं, वर्तमान में संचालित बसों/बस यूनियन को तथा अन्य सम्भाग (अलीगढ़ सम्भाग) को मार्ग प्रवर्धन किये जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मंजिली गाड़ियों के मार्ग पूरनपुर-टाटरगंज-बंगाली कालौनी-ढक्का चांट का शेरपुर कलां-जहूरगंज-नजीरगंज-कुरैया मार्ग खण्ड तक प्रवर्धन किये जाने पर विचार।

अनुपूरक कार्यसूची में प्रस्तुत अध्यक्ष, पूरनपुर-टाटरगंज बस यूनियन के पत्र दिनांक 29.06.2018 जो शेरपुर कलां-जहूरगंज-नजीरगंज-कुरैया तक प्रवर्धन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त प्रवर्धित मार्ग के फार्मूलेटेड न होने के कारण प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पीलीभीत को निर्देशित किया गया कि सन्दर्भित मार्ग पर यातायात व्यवस्था हेतु टैम्पो टैक्सी/आटोरिक्शा तथा मोटर कैब वाहनों के परमिट प्राप्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी किया जाय।

संकल्प संख्या - 06

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-74 के अन्तर्गत व्यवसायिक मोटर साइकिल (बाइक टैक्सी) को ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र दिये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.07.2017 के संकल्प संख्या - 11(ख) के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 2258/एसटीए/2016 दिनांक 25 नवम्बर 2016 तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 के संकल्प संख्या - 06 के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 931/एसटीए/2018 दिनांक 24.07.2018 के द्वारा व्यवसायिक मोटर साइकिल के ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया जा चुका है।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा - 74 के अन्तर्गत व्यवसायिक मोटर साइकिल के ठेका गाड़ी परमिटों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त यात्रियों की सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा हेतु धारा - 72(2) व धारा - 84 तथा उ0प्र0मोटरयान नियमावली 1998 के सुसंगत नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर परमिट निर्गत किये जाने के निर्देश जारी किये गये। प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि बाइक टैक्सी का चालक स्थानीय निवासी हो तथा सम्बन्धित थाने से पुलिस सत्यापन कराया गया हो। महिला यात्री हेतु महिला चालक का होना अनिवार्य होगा तथा परमिटधारक को यात्री हेतु भी नियमानुसार निर्धारित मानक का हेल्मेट यात्रा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को बाइक टैक्सी के परमिट जारी करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन करते हुए निर्देशित किया गया कि बाइक टैक्सी के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या – 07

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 74(1) के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में पैट्रोल/सी0एन0जी0 आटोरिक्शा के अनुज्ञापत्र जारी किये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.10.2018 में मद संख्या – 12 के क्रमांक – 08 पर श्री धर्मेन्द्र कश्यप माननीय सांसद ऑवला लोकसभा क्षेत्र के पत्र दिनांक 26.10.2018 जो जनपद बदायूँ में सी0एन0जी0 चालित आटोरिक्शा के परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, को प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल यू0पी0गैस लि0 से सी0एन0जी0 पम्प की क्षमता के सम्बन्ध में पत्र लिखकर सूचना प्राप्त कर ली जाय। सेन्ट्रल यू0पी0गैस लि0 ने अपने पत्र संख्या सीयूजीएल/सी0एन0जी0/आर0टी0ए0/2018/जनवरी–1 दिनांक 08.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बदायूँ के सी0एन0जी0पम्प की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1500 आटो/टैक्सी गैस फिलिंग की है।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 74(1) के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में सी0एन0जी0आटोरिक्शा के अनुज्ञापत्र जारी किये जाने पर सम्यूक विचारापरान्त प्राधिकरण द्वारा पैट्रोल/सी0एन0जी0आटोरिक्शा के अनुज्ञापत्र बदायूँ केन्द्र से जारी करने सम्बन्धी सहमति दी गयी तथा यह भी निर्देशित किया गया कि पैट्रोल/एल0पी0जी0 तथा डीजल चलित आटोरिक्शा के परमिटों पर वाहनों का प्रतिस्थापन सीएन0जी0चालित वाहनों से किया जायगा। एल0पी0जी0/डीजल चालित आटोरिक्शा को बदायूँ जनपद हेतु अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी नहीं की जायगी। प्राधिकरण द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि वह अपने स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्राधिकरण की नीति के अनुसार परमिट निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या – 08

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा तीर्थांकर महावीर यूनीवर्सिटी को प्राइवेट सर्विस व्हीकिल के अन्तर्गत जारी परमिटों पर संचालित बसों का बरेली सम्भाग में संचालन किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा–88(1) मोटरयान अधिनियम 1988 परमिट प्रतिहस्ताक्षर किये जाने सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।

प्रबन्धक, तीर्थांकर महावीर यूनीवर्सिटी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा पत्र दिनांक 10.01.2019 पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त वाहन संख्या यूपी–21एएन/4102 एवं वाहन संख्या यूपी–21सीएन/3303 को जारी परमिटों को अन्तर्गत धारा – 88(1) मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बरेली सम्भाग के बदायूँ जनपद में वाहनों के संचालन हेतु परमिट प्रतिहस्ताक्षर किये जाने की सहमति दी गयी। साथ ही भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर प्राधिकरण की नीति के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संकल्प संख्या – 09

यात्री/माल वाहनों के अनुज्ञापत्रों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा गहन विचार किया गया और पाया गया कि धारा – 192 एवं धारा – 86 की कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाहियॉं हैं। अतः धारा – 192 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र रूप से करते हुए पूर्ण करायी जाए। धारा – 86 के तहत की गई कार्यवाही हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार निश्चित करें। इसमें ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जिन्होंने धारा – 192 के तहत शमन शुल्क जमा किया हो परन्तु उनके द्वारा की गई अनियमितता के परिणाम स्वरूप परमिट निरस्त करना आवश्यक हो।

संकल्प संख्या – 10

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली में प्राप्त निम्नलिखित प्रत्यावेदनों पर विचार ।

क्रमांक	आदेश/प्रत्यावेदन एवं पत्र संख्या	विषय
1	2	3
1. (1) (2)	आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली से प्राप्त श्री इरशाद मियॉं पुत्र श्री निसार मियॉं निवासी शाहदाना मजार शरीफ जिला बरेली का परमिट संख्या 13627 वैधता 17.06.2017 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2018 माननीय संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार के पत्र दिनांक 03 फरवरी 2019 जिसके साथ संलग्न श्री मो0साबिर पुत्र श्री मोहम्मद फारूख निवासी मं0नं0 56 आजमनगर जिला बरेली का परमिट संख्या 14429 वैधता 14.09.2017 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।	श्री इरशाद मियॉं पुत्र श्री निसार मियॉं के परमिट संख्या 13627 वैधता 17.06.2017 एवं श्री मो0साबिर पुत्र श्री मोहम्मद फारूख के परमिट संख्या 14429 वैधता 14.09.2017 तथा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0श्री आनन्द प्रकाश निवासी सुभाषनगर जिला बरेली के परमिट संख्या 13028 वैधता 27.03.2017 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 23.09.2014 जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ''प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से नीति निर्धारित करते हुए अन्य सभी शर्तों के अधीन 01 माह तक विलम्ब से आने वाले नवीनीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर 100=00 रूपये की शास्ति तथा इसके उपरान्त प्रतिमाह 500=00 रूपये की शास्ति जो कि अधिकतम अवधि एक वर्ष तक होगी। एक वर्ष के अन्दर परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने पर परमिट स्वतः समाप्त माना जायेगा।'' को समाप्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त आटोरिक्शा/टैम्पो टैक्सी के परमिटों के नवीनीकरण हेतु नीति निर्धारित करते हुए अन्य सभी शर्तों के अधीन एक माह तक विलम्ब से आने वाले आवेदन पत्रों पर रूपया 100=00, एक माह से अधिक विलम्ब से आने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्रतिमाह रूपया 500=00 तथा अधिकतम रूपया 1,500=00 तथा एक वर्ष के ऊपर विलम्ब से आने वाले प्रार्थना पत्रों पर रूपया 1,500=00 प्रतिवर्ष अधिकतम 03 वर्ष के लिए शास्ति आरोपित करते हुए अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया जायगा।
2.	श्रीमती सरोज पत्नी स्व0श्री सन्तोष कुमार द्वारा परमिट संख्या 4901 वैधता 06.08.2020 को मृतक आश्रित के रूप में परमिट हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2018	श्रीमती सरोज पत्नी स्व0श्री सन्तोष कुमार द्वारा परमिट संख्या 4901 वैधता 06.08.2020 के परमिट हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त मृतक की वारिसान श्रीमती सरोज के नाम में उक्त परमिट का हस्तांतरण किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
3.	आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली से प्राप्त श्रीमती सुमन पत्नी स्व0श्री अनिल कुमार निवासी 753/430 सुभाषनगर जिला बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2019 एवं 25.01.2019	श्रीमती सुमन पत्नी स्व0श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2019 एवं 25.01.2019 पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि आवेदन कर्ता के पति पूर्व में आटोरिक्शा/टैम्पो के संचालन सम्बन्धी व्यवसाय में रहे हों तो आवेदन कर्ता को पैट्रोल/सी0एन0जी0 चालित वाहन हेतु परमिट की स्वीकृति निर्गत की जाये।

10

4.	बरेली-अलीगंज-सिरौली मिनी बस आपरेटर्स वेलफेयर एशोसिएशन, गन्ना मिल के सामने नेकपुर बरेली का प्रत्यावेदन दिनांक 11.02.2019	बरेली-सिरौली वाया चाड़पुर मोड़-बिशारतगंज निजी मार्ग पर अवैध रूप से संचालित थ्रीव्हीलर व मैजिक न चलने देने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत बरेली-सिरौली वाया चाड़पुर मोड़-बिशारतगंज मार्ग के बस आपरेटर्स यूनियन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सन्दर्भित मार्ग पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली एवं यात्रीकर अधिकारी, बरेली को अभियान चलाकर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

संकल्प संख्या – 11

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु विचारणीय नहीं है।

(वी0के0सोनकिया)
उप परिवहन आयुक्त
(परिक्षेत्र), बरेली।
सदस्य।

(रणबीर प्रसाद)
आई0ए0एस0
आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली
अध्यक्ष।

Scanned with CamScanner